



2026:AHC:62402

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 के तहत बीएनएसएस संख्या - 1963 वर्ष 2026

मोहम्मद जकीरुल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... विपरीत पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता

:राम गोपाल
:जी. ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. इस न्यायालय ने 25.2.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

"1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान एजीए की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

2. यह अग्रिम जमानत याचिका आवेदक की ओर से केस क्राइम नंबर 198/2025, बीएनएस की धारा 105, 3(5) के तहत, पुलिस स्टेशन- नागरा, जिला- बलिया में अग्रिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनका कहना है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम आरोपी के कॉलम में दर्ज है, लेकिन उसमें मृतक पर हमला करने या उसे किसी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। रिपोर्ट में केवल इतना कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने मृतक को श्रेयश सोटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (एक चावल मिल) भेजा था। याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। याचिकाकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए का कहना है कि उन्हें इस मामले में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यद्यपि आवेदक को अभियुक्तों की सूची में आरोपी के रूप में दर्शाया गया है, फिर भी उसके विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य नहीं सौंपा गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रारंभ में बिहार में शून्य प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज की गई थी और बाद में उत्तर प्रदेश को भेज दी गई। चूंकि आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए अगली सुनवाई तिथि तक आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित है।

7. अगली सुनवाई की तारीख तक, यदि आवेदक मोहम्मद जकीरुल को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उपर्युक्त मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाएगा, बशर्ते वह संबंधित पुलिस स्टेशन/न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो जमानती और व्यक्तिगत बांड प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

i. आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराना होगा;

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii. कि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/उसे डराएगा नहीं।

8. इसे 25.03.2026 को नए सिरे से अपलोड किया गया।

9. इस बीच, विद्वान एजीए मांग कर सकते हैं

2. आज जब इस मामले की सुनवाई का समय आया है, तो विद्वान

एजीए ने बताया है कि उन्हें इस मामले में निर्देश प्राप्त हो चुके हैं।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.2.2026 के आदेश में दर्ज किए गए निवेदनों को दोहराया है।

4. माननीय अटॉर्नी जनरल ने अग्रिम जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक को इस मामले में आरोपी बनाया गया है और उससे हिरासत में पूछताछ की जा सकती है। अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हालांकि आवेदक के खिलाफ जांच अभी जारी है। हालांकि, माननीय अटॉर्नी जनरल इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

6. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तों के कॉलम में आवेदक का नाम तो दर्ज है, लेकिन आवेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कदाचार का आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक पर किसी भी आपराधिक कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट बिहार में शून्य के रूप में दर्ज की गई थी।

एफआईआर दर्ज कर उत्तर प्रदेश को भेज दी गई। गवाहों के बयानों में भी आवेदक पर किसी प्रत्यक्ष कृत्य का आरोप नहीं लगाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। आवेदक को अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई है और उसने अंतरिम अग्रिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया है।

7. उपरोक्त वर्णित मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को उन्हीं शर्तों और नियमों पर अग्रिम जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ। दिनांक 25.2.2026 के आदेश में उल्लेख किया गया है।

8. वर्तमान आवेदन की अनुमति है।

25 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)